

ज्ञारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- २५५ / न०नि०

सेवा में

श्री विनोद लुगार रिंड
पिता/श्रति-रूप० गढ़ेन्दू लुगार रिंड एवं उन्हें,
पता विनोद लुगार रिंड, जगर, तारायदेशा,
भिपाट।

धनबाद, दिनांक: २५/९/२०१७

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न० बी०डी० १३३/१६-१७
सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक- २, १२, १६ के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या- २५७४ दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- ५६३११६-१७
जमावांदी संख्या- २४४। से निर्गत लागान रसीद वर्ष- १६-१७ की अभिप्राप्ति प्रति, शपथ पत्र
एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत
आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संकंधी बी०डी० केश न०- १३३/१६-१७ के नक्शे की स्वीकृति प्रत्यन्ध
निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि न०.प्लॉट न०.०२ मौजा अन्तर्गत खाता न०- ६७ प्लॉट न०- १३२८ रकवा १००७.९०.८६ वार्षिकी पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री लौ अशोक लुगार की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध की रायें। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम ३ (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुगति के देख-रेख में किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

ज्ञारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिंस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किये जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुरावाभित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।


जल संरक्षण एवं पर्यावारण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशलन विलिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में ०.१५ कुल रु०.५०.२५.०५०/- जमा किया गया है।

स्टक्चर, डिजाइन, सोतायांल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या ६० दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

प्लीन्थ के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता रथल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भदन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजातों में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।


कायपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
जमाडा, धनबाद।